अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 658(अ).-भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सिक्किम सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत :-

1. (1) ये विनियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2015 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "सिक्किम" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"सिक्किम

	राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	**27**
	सरकार के मुख्य सचिव	1
	अपर मुख्य सचिव	1
	प्रधान सचिव	4
	आयुक्त–सह-सचिव	8
	सरकार के सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	9
	जिलाधीश और समाहर्ता	4
1.	**कुल वरिष्ठ ड्यूटी पद**	27
2.	**केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं**	10
3.	**राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं**	06
4.	**प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं**	01
5.	**छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व उपर्युक्त मद 1 के 16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं**	04
6.	**भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त मद 1,2,3 और 4 के 33 1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं**	14
7.	**सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1+2+3+4+5-6)**	34
	कुल प्राधिकृत पद संख्या	48"

[फा. सं. 11031/03/2015-अ.भा.से.-II-क]

राजीव जैन, अवर सचिव

टिप्पणी 1: इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, सिक्किम के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के कुल प्राधिकृत पदों की संख्या 48 थी ।

टिप्पणी (2): मुख्य नियम दिनांक 14.09.1954 की एस आर ओ सं. 158 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे । मुख्य नियमों की अनुसूची ।।। में सिक्किम संवर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किया गया था :

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख
1	404 अ	16.06.76	8	739 अ	31.12.97
2	419	08.05.82	9	367 अ	19.05.99
3	123	15.02.86	10	224	09.07.05
4	190	26.03.88	11	79 अ	08.02.08
5	872	12.11.88	12	188 अ	24.03.09
6	237	15.05.93	13	688अ	19.08.2010
7	319 अ	31.03.95			

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2015.

G.S.R. 658(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of **Sikkim**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2015.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading **"Sikkim"** and the entries occurring there under, the following shall be substituted namely:-

"SIKKIM

	Senior Duty Posts under the State Government	**27**
	Chief Secretary to the Government	1
	Additional Chief Secretary	1
	Principal Secretary	4
	Commissioner-cum-Secretary	8
	Secretary to Government/Joint Secretaries/Deputy Secretaries	9
	District Magistrate and Collector	4
1.	Total Senior Duty Posts	27
2.	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of item 1 above	10
3.	State Deputation Reserve not exceeding 25% of item 1 above	06
4.	Training Reserve not exceeding 3.5% of item 1 above	01
5.	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of item 1 above	04
6.	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of The Indian Administrative Service(Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of item 1,2,3 & 4	14
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1+2+3+4+5-6)	34
	Total Authorized Strength	48"

[F. No. 11031/03/2015- AIS-II (A)]
RAJIV JAIN, Under Secy.

Note (1): Prior to issue of this notification, the Total Authorized Strength of Sikkim Cadre was 48.

Note (2): The Principal rules were published in the Gazette of India vide SRO No.158 dated 14.9.1954. Schedule III of the Principal Rules in respect of Sikkim have been amended vide G.S.R. Nos. and dates:

Sl.No.	GSR No.	Date	Sl.No.	GSR No.	Date
1	404 E	16.06.76	8	739 E	31.12.97
2	419	08.05.82	9	367 E	19.05.99
3	123	15.02.86	10	224	09.07.05
4	190	26.03.88	11	79 E	08.02.08
5	872	12.11.88	12	188 E	24.03.09
6	237	15.05.93	13	688E	19.08.2010
7	319 E	31.03.95			

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 659(अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, सिक्किम सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) ये नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2015 होगा।

(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में:-

(क) तालिका "अनुसूची ।।-क, में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वेतनमान के ऊपर के वेतन वाले पदों" में प्रथम कॉलम में "सिक्किम" प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"सिक्किम

सरकार के मुख्य सचिव		80,000/- रू. (नियत)
अपर मुख्य सचिव		एचएजी वेतनमान: 67000 रू . (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रू.
प्रधान सचिव		एचएजी वेतनमान: 67000 रू . (वार्षिक वेतनवृद्धि 3%की दर से)-79000/-रू.
आयुक्त-सह-सचिव		पीबी-4 + ग्रेड वेतन रु. 10000

(ख) " अनुसूची ।।- भाग ख" में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों में 'सिक्किम' शीर्षक के तहत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"सरकार के सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	
जिलाधीश और समाहर्ता "	

[फा.सं. 11031/03/2015-अ.भा.से.-II-ख]

राजीव जैन, अवर सचिव